



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
E-mail-eccdalmorapwd@rediffmail.com



पत्रांक 1421 / 3सी. (व.भूमि)
सेवा में,

दिनांक 9 / 05 / 2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं० - 334/X-4-15/1(160)/2015 dt 30.05.2015
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् है:-

A - बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निगित मानी जायेगी।	शर्त संख्या 1- प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 694980.00 (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2- प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख-रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रु० 540000.00 मात्र प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3- प्रस्तावित मोटर मार्ग में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित रु० 2053350.00 की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2015 को जमा कर दी गयी है।
4- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 4- प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
5- भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल,सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 5- प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 694980.00 तथा एन०पी०वी० हेतु 2053350.00 तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रु० 540000.00 तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि रु० 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है। (चालना की प्रति संलग्न)

6-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त संख्या 6- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की गयी एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।
7-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या 7- प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त संख्या 8- लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।
9-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या 9- लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तों का पालन भली-भाँति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा।
10-उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या 10- प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत् स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तों का पालन कर आख्या प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या को अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

O/c

(इं0 विमोर गुप्ता)

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

Akash

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-वनभूमि सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को पत्रावली हेतु प्रेषित।

O/c

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

Akash

09/05/2025

संख्या: 334/X-15/1(160)/2015

प्रेषक,

पी०के० पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून दिनांक: 30 मई, 2015

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में भगस्तोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 243. हे० सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिजी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3139/1-जी-FP/UK/ROAD/10568/2015 दिनांक 06 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में भगस्तोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 243. हे० सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिजी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/88-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-652/1/XVIII-(2)/2013&15(34)/2013 दिनांक 25 जुलाई, 2013 एवं कार्यवृत्त दिनांक 10.04.2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86. हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा; तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर राखोबिा वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाल के लेखा सं०-एस०सी०-25228 कापीरेशन बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम), स्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सी0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), स्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आस्था (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षतिपूर्क पृथारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय

(पी0के0पात्रो)

अपर सचिव।

संख्या: 334 (1) / X-4-15 / 1(100) / 2015, तपदिनांकित।

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0 आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अभियंता अग्रियता, नि0स्को, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

प्रतिभाषा

सहायक अभियंता,
विभाग सचिव, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

आज्ञा से,

(राम सिंह)

उप सचिव।

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र तहसील में जंगलान्ना-धनुवा-कपकपली माट्टा मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.43 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बागुनी क्षेत्रफल की कुल 4.86 हे० सिविल भूमि का नियन्त्रण व वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-2, जनसम्पद शासन, तहसील के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्माण निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अनुरोध के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा अपन पत्र संख्या 273/302(न्यू)/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2024-25, दिनांक 27 जनवरी, 2025 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संख्या के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतामी, खसरा, मक्या व संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं उप सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, तहसील के पत्र संख्या 335/X-4-15/1(160)/2015 दिनांक 30 मई, 2015 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण के लिए ग्राम कालनू, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुडा, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के न० ज० वि० खतौनी खाता संख्या-19/236 श्रेणी 9(3) ड बंजर काबिल आबाद के पैमादशी खत संख्या 7225 न० रकबा 4.860 हे० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, रानीखेत तदनुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरानद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 12 फरवरी, 2025

(अलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या-3040 / ग्यारह-11 / 2024-25 दिनांक: 13 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा (नोडल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 4- संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
- 5- तहसीलदार, रानीखेत।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

(अलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

2024-25
11/6/25
13/2/2025

प्रति मन्त्याफि
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, ज० वि० वि०
अल्मोड़ा

(4)

गैर जम-वि. खेतोंनी उद्धारण ग्राम. कालन तहसील - रानीखेत जिला - अहमोड़ा

फ्रेणी - ७(३)उ - कृषि योग्य बंजर भूमि

क्रमांक	नाम	जमीनी	खेत नं.	रकबा	लोक	विवरण
19/236	बंजर का. छां		2	0.388		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेश सं. 3/18/2015 दि. 12-2-2015 के ग्राम कालन पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील रानीखेत के गैर जम-वि. छां. सं. 19/236 की फ्रेणी ७(३)उ योग्य बंजर भूमि के पैमाशाही खेत नं. 7233 रकबा 1.3 है. सिविल भूमि को अतिरिक्त हड़ारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित / नामांतरित की जाती है। हस्ताक्षर आस्थापक दि. 6/1/15
			4	0.429		
			9	0.050		
			16	0.082		
			↓	↓		
			104	0.060		
			569	0.320		
			↓	↓		
			581	0.135		
			1385	1.320		
			↓	↓		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय आदेश सं. 3/18/2015 दि. 12-2-2015 के ग्राम कालन पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील रानीखेत के गैर जम-वि. छां. सं. 19/236 की फ्रेणी ७(३)उ योग्य बंजर भूमि के पैमाशाही खेत नं. 7233 रकबा 1.35 है. सिविल भूमि को अतिरिक्त हड़ारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित / नामांतरित की जाती है। हस्ताक्षर आस्थापक दि. 6/1/15
			1.389	0.005	पेखी	
			1633	0.566		
			↓	↓		
			1741	0.390		
			1806	0.150		
			1997	0.050		
			2042	0.015		
			↓	↓		
			2044	0.125		
			2074	0.018		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय आदेश सं. 3/18/2015 दि. 12-2-2015 के ग्राम कालन पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील रानीखेत के गैर जम-वि. छां. सं. 19/236 की फ्रेणी ७(३)उ योग्य बंजर भूमि के पैमाशाही खेत नं. 7230 रकबा 1.864 है. रकबा खेत सं. 7237 रकबा 0.841 है. सिविल भूमि को अतिरिक्त हड़ारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित / नामांतरित की जाती है। हस्ताक्षर आस्थापक दि. 6/1/15
			2092	0.306		
			2275	0.021		
			↓	↓		
			2302	0.029		
			2451	0.265		
			3244	0.013		
			↓	↓		
			3618	0.008	सेवा	
			3632	0.265	सेवा	
			↓	↓		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय आदेश सं. 3/18/2015 दि. 12-2-2015 के ग्राम कालन पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील रानीखेत के गैर जम-वि. छां. सं. 19/236 की फ्रेणी ७(३) योग्य बंजर भूमि के पैमाशाही खेत नं. 7226 रकबा 10,000 है. खेत सं. 7237 रकबा 2.680 है. 12.680 है. सिविल भूमि को अतिरिक्त हड़ारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित / नामांतरित की जाती है। हस्ताक्षर आस्थापक दि. 6/10/15
			3748	0.009	सेवा-धार	
			3772	0.116		
			3791	0.036		
			↓	↓		
			3986	0.029		
			4148	0.013	कमरा	
			कमरा	कमरा		

क्रमांक	नाम	फसली	खेत नं.	रकबा	लोक	विवरण
0/234	बजर का.आ.		4150	0.015	जमीन कमरा	प्रीमान बिना आधिकारी मंडेय अखोडा के आदेश संख्या 3968/अखोडा - 20/2015 दि. 23.1.15 के ग्राम कावूर पंचवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के क्षेत्र का. नि. सं. 24-सं. 13/236 की जैनी 3(3) सोमर बजर जमीन के पैमाने की खेत नं. 7237 मध्ये रकबा 4.235 हे.मी. वि. बि. जमीन को अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के, राजाशक्ति निष्कासन के - 20-सं. 15/नमोदरित की जारी है।
			4156	0.028		
			4281	0.030		
			↑	↑		
			4476	0.040		
			4483	0.030		
			4504	0.090		
			4706	0.013		
			↑	↑		
			4717	0.016	होला, गोहरा	प्रीमान बिना आधिकारी अखोडा के सं. 3462/अखोडा - 12/2014-17 दि. 29/2.017 के ग्राम कावूर पंचवारी 3 क्षेत्र पाखुड़ा अ. अ. नि. क्षेत्र पाखुड़ा के क्षेत्र की आ. सं. 13/236 की जैनी 3(3) का का. आ. के पैमाने की खेत नं. 7233 मध्ये 0.860 हे.मी. खेत नं. 7243 अ. 0.055 हे.मी. 2.55 हे.मी. कुल 6.135 हे.मी. जमीन अति -सुरक्षित वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की जाती है। प्रस्तावित है।
			4724	0.048		
			4967	0.003		
			↑	↑		
			4970	0.013	होला, गोहरा	
			4976	0.008		
			5378	0.145		
			↑	↑		
			5376	0.060	कुर्छर - पूर	
			5381	0.450		
			5691	0.023	डीना	
			↑	↑		
			5701	0.480	सेराडी	
			6107	0.013		
			↑	↑		
			6111	0.030	तल्लाम	
			6115	0.025		
			6143	0.008		
			6524	0.035		
			6742	0.035		
			↑	↑		
			6765	0.024	पैला	
			6856	0.014	नैकण	
			6904	0.045		
			7049	0.250		
			7125	0.050		
			7133	0.036		
			7161	0.063		
			7167	0.020		
			7170	0.013		
			↑	↑		
कमरा:	कमरा:					

क्रमांक	नाम	पता	जिला नं.	रकबा	तारीख	विवरण
1/236	बंजर काष्ठि आबाद					
			7173	0.030	अप्रवासी	क्षेत्रफल 152/1310/1533 अनु 10
			7182	0.033		-71 प्रमाण प्रमाणित करीब 15/5
			7193	1.470		72 के मानसम पुनर्गठन के जिला नं.
			7195	0.035		उपरी महीने 5 महीने की कमी है 2.11
			7207	0.023		होने पर अवांछित ग्राहक के रूप में
			7211	0.258		मिया ।
			7217	0.230	पुनर्ग	ह. ठा.
			7218	0.313		-दि. 11-1-85
			7220	0.300		प्रमाण प्रमाणित करीब महीने 15/5 के
			7225	6.000		कार्यवाही आदेश - 152/1310/1533 अनु 10
			7226	10.000		विनं. 13 फरवरी 2025 के अनुसार अनुपद
			7227	0.613		अहमदाबाद के विधानसभा क्षेत्र कोटवा में शामिल
			7229	6.049		-हा - नमूना - कपकोटी मोटरगाड़ी हेतु क्षतिपूर्ति
			7230	4.864		वृक्षारोपण हेतु ग्राम - काठन - रा. उ. के क्षेत्र
			7233	5.845		प्राप्त तहसील - राजीव गांधी - अहमदाबाद के क्षेत्र
			7234	10.684		ज. वि. क्षेत्रों की खाता सं. 13/236 क्षेत्री 3 (3) 3
			7237	8.326		बंजर काष्ठि आबाद के पैमाने की सं. 7225
			7238	1.029		म. रकबा 4.860 हे. विनं. 13/236 क्षेत्री 3 (3) 3
			7240	0.031		-रक. वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक
			7243	1.055		नियंत्रण में हस्तांतरित की जाती है।
			7250	4.235		क्षेत्र
						रा. उ. म. पा. रा. उ. म. पा. रा. उ. म. पा.

खता संख्या	नाम आवेदार	फसली	खेत नं.	रकबा	टोक	विवरण
13/236	बेजर का. आ.					श्रीमान गणेशाधिकारी सहोदय जहंगी के कार्यालय ला. नं. 3041 गवारा - 12/2024-25 केनांक 13 जून 2025 के अनुसार जनपद जहंगी में जेपी भेद्यनरी बरहोली मोटरमार्ग हेतु प्रतिशत वृद्धिपत्र हेतु ग्राम कायदा नं. 10 मि. क्षेत्र पाण्डुरा तहसील गनीखेत जिला जहंगी के जैस ज. मि. खेती की जता नं. 19/256 जेपी 8(3)3 नंबर काबिल आनन के जेम्पली खेत नं. 7234 ज. रकबा 2.785 हे. जेम्पली जेपी नं. 10 मि. क्षेत्र वृद्धिपत्र हेतु वन विभाग के जहंगी नं. 10 मि. क्षेत्र जे जहंगी की पत्नी ।
	दोरा		432	116-146		

दिनांक
 01/03/2025

सहोदय,
 जैस ज. मि. खेती की जता नं. 19/256
 की गई ।

प्रतिमान्यपत्र

(Signature)

सहायक आसयन्ता,
 विभाग जहंगी, ला. नं. 10 मि. क्षेत्र
 जहंगी

(Signature)

01/03/2025

राजस्व उप निरीक्षक
 क्षेत्र पाण्डुरा
 तहसील गनीखेत (अल्मोड़ा)

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 1)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू० 694980.00 (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS IN ADHOC CAMPA

Name of Proposal:-जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-334/X-4-15/1(160)/2015, दिनांक-30.05.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त

1	Name of Regional Office	Regional Office, Dehradun
2	State /Distt/Forest Division to which the proposal relates	Uttarakhand/ Almora/civil avm Soyam Forest Division/ Almora
3	Name of User Agency, Nature of Proposal	Construction Division, PWD Almora
4	Extent of forest area involved	2.43 Hec.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extensions of lease, PI clarify if proposal involves additional Forest area, and if so, specify	-
7	Date of 1st stage clearance	Dt 30.05.2015
8	Extent of CAMPA Charges, Head wise Viz	-
a	Compensatory Afforestation	Rs. 694980.00
b	Additional CA	-
c	Panel CA	-
d	Catchment Area Treatment	-
e	Wild Life Management Plan	-
f	Additional Charges for Diversion of area falling under notified/protected areas.	-
g	Net Present Value	Rs. 2053350.00
h	Any other charges/ levies (PI Specify) Blank Spaces Plantation. Road side Plantation	Rs. 540000.00
	Total	Rs. 3288330.00
9	Details of Bank (Bank, Draft No. Date & Amount), Head Wise against items indicated in paragraph 8 above	Deposited BY NEFT/RTGS
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	Cheque No. CC3700162909150010 date 11.09.2015
11	Bank (Corporation bank, Lodhi complex/ Union Bank of India, sunder Nagar) in which deposited with date of deposition	Union Bank of India,
	Any other Remarks	-

सहायक अभियन्ता,
निर्माण विभाग, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा

12
अभिशादी अभियन्ता,
निर्माण विभाग, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 2)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख-रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रु० 540000.00 मात्र दिनांक 11.09.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित रू० 2053350.00 की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2015 को जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4) (वचन बद्धता प्रमाण-पत्र)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

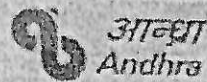
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2025 को जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-03-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110668874
MoEF/SG File No.	1(160)/15
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eecdalmorapwd@rediffmail.co
Mobile No.	9759892120
Landline No.	5962-230091
Amount(in Rs)	1106276/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Eleven Lakh Six Thousand Two Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)

Bank Official

प्रति मान्यता

सहायक अभियन्ता,

विमान क०, नो० दि० वि०
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 694980.00 तथा एन०पी०वी० हेतु 2053350.00 तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू० 540000.00 तथा भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि रू० 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10668/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10668/2015) Bhagartola-Chamua-Kapkoil Motor Road	ROAD106682015874	6110668874	30 May 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 1106276/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1106276/-		Fund Demand Verified by : 13 Feb 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 06 Mar 2025 Transaction Date : 15 Feb 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/20
2	FP/UK/ROAD/10393/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10393/2015) Bartoli-Banthok Motor Road(Part I)	ROAD103932015671	6110393671	08 Oct 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 957164/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 957164/-		Fund Demand Verified by : 03 Jan 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 09 Jan 2025 Transaction Date : 10 Jan 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/20

प्रति श्री श्री श्री

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 6)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०—566 एवं भारत सरकार के पत्र सं—5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक—11 भूतल, सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज—1, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 में जमा की गयी एन०पी०वी० तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ७)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ८)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

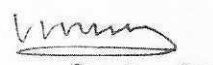
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 03.03.15 at time 4:00 PM at Almora in which application claiming rights of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth area measuring 2.43 hec. for the Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road (km. 8) in Almora Of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhanoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora


03.03.15
Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

DATE:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रति भाग्यशाली



सहायक अभियन्ता,
विमान सड़, नो.नि.वि.
अल्मोड़ा

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated..03/03/2015.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **2.43** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road (km. 8) in Almora district falls within jurisdiction of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth Village (s) in Bhanoli tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.43** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure 9
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth villages (s)** is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

03/03/15
Vinod kumar suman

District Collector, Almora

प्रति भवति

[Signature]

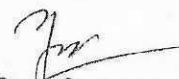
सहायक जलसंधारण,
विभागीय कार्यालय, न.वि.वि.
अल्मोड़ा

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन अधिनियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 2.295 है० सिविल सोयम भूमि 0.135 है० वन पंचायत भूमि कुल 2.43 है० वन भूमि, निर्माण ख० लो० नि० वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-मनोली जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-मनोली, जनपद अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता,
विमान क०, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ९)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तों का पालन भली-भाँति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 10)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तों का पालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा